मुन्तकिली प्रकरण सं0 75/2016 अनवानी पृथ्वीराज पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी मोरजण्डखारी तहसील सादुलशहर बनाम 1–मनीराम पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी मोरजण्डखारी 2–जैतादेवी पुत्री सहीराम 3–विनोद पुत्र बृजलाल 4–सुशील पुत्र बृजलाल 5–कौशल्या उर्फ विजयश्री पत्नि बृजलाल 6–मंजू पुत्री बृजलाल 7–तहसीलदार सादुलशहर 8–उपपंजियक लालगढ़ जाटान

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

28.09.2016

प्रार्थी के अभिभाषक श्री बलराम स्वामी उपस्थित है। अप्रार्थी सं0 1 मनीराम उपस्थित है। दोनो पक्षो को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थी मनीराम का कथन है कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर में लम्बित दावा सं0 49/2015 अनवानी पृथ्वीराज आदि बनाम मनीराम आदि में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र इसी आधार पर खारिज किया जावे।

प्रार्थी के अभिभाषक को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है।

मैने दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर में लंबित दावा सं0 49/2015 अनवानी पृथ्वीराज आदि बनाम मनीराम आदि में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और वे कार्यमुक्त हो गये है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। पक्षकारान के अभिभाषकगण को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है। अतः मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 28.09.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी. सी. किशन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर